Indian Express

Another prisoner's death in Taloja Jail raises alarm over suicides in Maharashtra's prisons

Over 70 prioners have died by suicide since 2010 in Maharashtra, with NHRC calling for urgent reforms.

https://indianexpress.com/article/cities/mumbai/prisoner-death-taloja-jail-maharashtra-prison-suicide-9942036/

Written by Zeeshan Shaikh | Mumbai | Updated: April 13, 2025 22:06 IST

4 min read

The alleged suicide of an undertrial prisoner, accused in the sexual assault and the murder of a minor girl in Kalyan East in Taloja Jail Sunday once again spotlighted a growing concern in Maharashtra's prison system—one that has claimed over 70 lives in the past 13 years.

Official data reveals that between 2010 and 2022, 129 prisoners in Maharashtra died unnatural deaths, of which 54 per cent or 70 were recorded as suicides.

Nearly 35 per cent of these suicides took place in just three years between 2020 and 2022, pointing to a trend that continues to worsen despite repeated warnings and recommendations.

In 2014, alarmed by the growing number of suicides in Indian prisons, the National Human Rights Commission (NHRC) commissioned a comprehensive study to examine the underlying causes of suicides in prisons.

The report, named Suicide in Prison: Prevention Strategy and Implication from Human Rights and Legal Points of View, identified two principal factors driving prison suicides: a custodial environment that fosters suicidal tendencies, and personal crises faced by inmates.

"From the inmate's perspective, certain features of the jail environment enhance suicidal behaviour — fear of the unknown, distrust of an authoritarian system, lack of control over one's future, isolation from family and loved ones, the stigma of incarceration, and the overall dehumanizing nature of prison life," the NHRC noted in its findings.

The 2014 NHRC report highlighted a stark disparity in suicide rates among inmates, noting that pre-trial detainees are ten times more likely to die by suicide compared to the general prison population, while sentenced prisoners face a risk three to six times higher.

In response, the Commission outlined a series of recommendations aimed at suicide prevention in prisons, focusing on mental health support, structural reforms, and improved inmate monitoring.

The advisory flagged the high number of unnatural deaths in Indian jails, stating that 80 per cent of these fatalities were suicides, with hanging remaining the most common method.

However, with little visible improvement over the years, the NHRC issued a fresh 11-point advisory in June 2023, acknowledging that “the incidence of suicides in prisons has not come down”.

The 2023 advisory proposed a detailed 11-point action plan. Among its key recommendations was the suggestion to increase prison staff, particularly welfare officers, psychologists, medical personnel, and probation officers. Introduction of mental health literacy training for prison staff, creation of suicide prevention units including inmates trained to provide psychological first aid, buddy systems and CCTV surveillance for high-risk prisoners, CPR and first-aid training for selected prisoners to respond to suicide attempts and strengthening family visitation systems to provide emotional support to inmates were among the other recommendations.

Prison officials, speaking on condition of anonymity, acknowledged the troubling nature of rising suicides in custody but emphasized that the issue cannot be resolved through surveillance alone.

“Just watching and monitoring prisoners 24×7 will not reduce jail suicides,” a former prison official said. “What’s needed is a complete overhaul of the prison system—one that prioritizes mental health support, staff training, and structural reforms. In today’s reality of overcrowded and understaffed prisons, such incidents are tragically inevitable.”

While some argue that suicide is a voluntary act for which custodial authorities should not be held accountable, the NHRC firmly asserts the state’s responsibility in such cases.

“Since inmates are under the safe custody of the State, it is the State’s obligation to ensure their safety, security, and overall wellbeing. In cases of negligence or violation, the State is vicariously liable for any acts of omission or commission by prison authorities,” the NHRC stated in its 2014 report.

ETV Bharat

दोस्त की प्रेमिका को ऑफिसर्स बन लेने आए 4 दोस्त! मुरैना वन स्टाप सेंटर में हुआ बवाल - MORENA ONE STOP CENTER RUCKUS

मुरैना वन स्टॉप सेंटर में 4 युवक मानव अधिकार आयोग के सदस्य बनकर एक लड़की को लेने पहुंच गए. जमकर हुआ हंगामा.

https://www.etvbharat.com/hi/!state/morena-one-stop-center-cantroversy-over-a-girl-morena-4-fake-national-human-rights-commission-officers-came-pick-up-girl-madhya-pradesh-news-mps25041301239

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team | Published : April 13, 2025 at 5:01 PM IST

Updated : April 13, 2025 at 5:40 PM IST

4 Min Read

मुरैना: शनिवार को मुरैना वन स्टॉप सेंटर में जमकर हंगामा हुआ. 4 युवक मानव अधिकार आयोग के सदस्य बनकर वन स्टाप सेंटर से एक लड़की को लेने पहुंचे. आरोप है कि चारों प्रेमी के दोस्त थे जिसके साथ लड़की ने भागकर शादी कर ली थी. परिजन ने हंगामा मचाया तो 2 युवक दीवार फांदकर भाग गए. सूचना पाकर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में ले लिया. परिजन का आरोप है कि, केस वर्कर ने बेटी को सुपुर्द करने के लिए उनसे 50 हजार रुपये की रिश्वत ली है.

युवती ने भागकर अपने प्रेमी से कर ली है शादी

मुरैना के पोरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत बुधारा गांव की एक 20 वर्षीय युवती 15 दिन पहले अचानक गायब हो गई थी. परिजनों ने इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी. जांच में लगी पुलिस ने 5 दिन पहले युवती को बरामद कर लिया था. युवती ने पुलिस को बताया कि वह गांव के ही देवेंद्र रावत नामक युवक से प्रेम करती है. वह अपनी इच्छा से प्रेमी के साथ भागकर गई थी. आगे का जीवन वह प्रेमी के साथ ही गुजारना चाहती है. युवती के बालिग होने की वजह से पुलिस ने उसे मुरैना वन स्टॉप सेंटर भेज दिया.

परिजन ने केस वर्कर पर लगाया रिश्वत लेने का आरोप

युवती की मां का कहना है कि बेटी से मिलने वह वन स्टॉप सेंटर पहुंची तो उसको मिलने नहीं दिया गया. इसके बाद वह समाजसेवी बबलू बघेल को लेकर वन स्टॉप सेंटर पहुंची. युवती की मां ने बताया कि "केस वर्कर ज्योति धाकड़ ने उसकी बेटी को उसे सौंपने के एवज में 50 हजार रुपए की मांग की. उसने केस वर्कर को पैसे भी दे दिए. लेकिन उसने बेटी को सौंपना तो दूर उससे मिलने भी नहीं दिया. शनिवार को जब वो फिर से बेटी को लेने वन स्टॉप सेंटर पहुंची तो 4-5 युवक अंदर बैठे थे."अपनी आईडी नहीं दिखा पाए चारों युवक

लड़की की मां का आरोप है कि वो लड़के के दोस्त थे. पूछताछ में युवकों ने बताया कि वो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से हैं. लड़की को यहां से ले जाने के लिए हाईकोर्ट का ऑर्डर भी लाए हैं. परिजन ने आईडी दिखाने को कहा तो उन्होंने घर पर होने की बात कही. लड़की की मां ने आरोप लगाया है कि वन स्टॉप सेंटर के कर्मचारियों ने युवकों से 1 लाख रुपए लेकर उन्हें लड़की सौंपने की डील कर ली थी.

पुलिस ने 2 को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद छोड़ा

इतना सब होने के बाद परिजन भड़क गए और गेट पर हंगामा करने लगे. उन्होंने पुलिस को भी फोन लगा दिया. पुलिस के आने की बात जानकर 2 युवक दीवार फांद कर भाग गए जबकि 2 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया. हालांकि थाने में पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया.

वन स्टॉप सेंटर प्रभारी अपूर्वा चौधरी का कहना है कि, "किसी ने कोई रिश्वत नहीं मांगी है और न ली है. लड़की बालिग थी और उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली थी. वह अपने पति के साथ रहना चाहती है. जो लड़के उसको लेने आये थे, उनमें एक लड़के का बड़ा भाई था. 2 लोग मानव अधिकार आयोग से जुड़े हुए थे. उस समय उनके पास आईडी कार्ड नहीं थे, बाद में मंगवा लिए थे."

Dainik Bhaskar

जसवंतनगर में हत्या के दो आरोपी अरेस्ट:ट्रक चालक की हत्या का आरोप, पिस्टल और रुपए बरामद

https://www.bhaskar.com/local/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/news/two-accused-of-murder-arrested-in-jaswantnagar-134830711.html

मो. जानिब | जसवंतनगर 6 घंटे पहले

जसवंतनगर पुलिस ने ट्रक चालक की हत्या के मामले में दो वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान कन्हैया उर्फ संजेश कुमार यादव और सत्यपाल के रूप में हुई है। दोनों को सैफई रोड तिराहे से पकड़ा गया।

थाना प्रभारी राम सहाय सिंह के अनुसार, कन्हैया उर्फ संजेश कुमार यादव (30) इटावा के थाना भर्थना क्षेत्र का रहने वाला है। उसके पास से एक पिस्टल और 1280 रुपये बरामद हुए। वहीं, सत्यपाल (35) मैनपुरी के थाना कुर्शा क्षेत्र के सलेमपुर गांव का निवासी है। उसके पास से 1165 रुपये बरामद किए गए।

मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सैफई मार्ग से दोनों आरोपियों को पकड़ा। इन्होंने 22 मार्च को ग्राम कटखेड़ा के पास एक डंपर चालक की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या की थी। इस मामले में एक अन्य आरोपी पहले ही जेल भेजा जा चुका है।

पुलिस ने गिरफ्तारी के दौरान मानक न्यायालय और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशों का पालन किया। आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया है।

Dainik Bhaskar

रोसड़ा में था घर: मानवाधिकार आयोग को डीएम ने दी घटना की जानकारी

https://www.bhaskar.com/local/bihar/darbhanga/news/the-house-was-in-rosda-dm-informed-the-human-rights-commission-about-the-incident-134826421.html

रोसड़ा | थाना क्षेत्र के हिरामिया गांव के अमरजीत कुमार की दरभंगा बाल सुधार गृह में मौत हो गई। जेल प्रशासन ने उसे डीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अमरजीत के शरीर पर कई जगह चोट के निशान मिले हैं। आशंका है कि अमरजीत के साथ मारपीट हुई जिससे उसकी मौत हुई है। भास्कर न्यूज|दरभंगा/समस्तीपुर लहेरियासराय स्थित बाल पर्यवेक्षण गृह के िवधि विरूद्ध किशोर की संदिग्ध मौत की जिला जज विनोद कुमार तिवारी के आदेश पर ज्युडिशियल इंक्वायरी शुरू हो गई है। वहीं इस मामले में लहेरियासराय थाने में बाल पर्यवेक्षण गृह के 8 नामजद विधि विरूद्ध किशोर सहित अन्य के खिलाफ मृतक के साथ मारपीट कर हत्या देने का मामला दर्ज किया गया है। इसकी पुष्टि लहेरियासराय थानाध्यक्ष दीपक कुमार ने भी की है। वहीं बाल पर्यवेक्षक गृह की विभागीय निदेशक रंजीता कुमारी शनिवार की देर शाम तक जांच के पहुंची। जिला पदाधिकारी राजीव रौशन ने कहा कि उनके अनुरोध पर जिला जज ने इस घटना की ज्युडिशियल इंक्वायरी शुरू करवा दी है। पोस्टमार्टम भी उन्हीं की देखरेख में हुई। उनके स्तर पर मानवाधिकार आयोग को इसकी सूचना दे दी गई है। वहीं मृतक के रिश्ते में भाई राम लक्ष्मण महतो ने पुलिस के सामने मीडिया को दिए बयान में आरोप लगाया गया है कि मृतक से रंगदारी मांगी गई थी। 30 मार्च को मोबाइल नंबर से 600 रुपए भेजे थे। यह मोबाइल नंबर वैभव कुमार मल्लिक का है। पुन: मृतक ने मोबाइल नंबर पर पैसा भेजने के लिए कहा था। यह मोबाइल नंबर केशव राज का है। 10 अप्रैल को हम पैसा भेजने वाले थे। लेकिन नहीं भेज पाए। शुक्रवार की रात पर्यवेक्षण गृह से सूचना दी गई कि आपके बच्चे की तबीयत खराब है। आइए, आए तो वह मृत पाया गया।

Times of India

Fake doctor’s remand extended as SIT probes surgery scam with global links

https://timesofindia.indiatimes.com/city/bhopal/fake-doctors-remand-extended-as-sit-probes-surgery-scam-with-global-links/articleshow/120257976.cms

TNN | Apr 13, 2025, 09.19 PM IST

Bhopal: A local court in Damoh district has extended the police remand of Narendra Yadav aka N John Camm for four more days while rejecting his bail plea. Yadav is being probed for unauthorised cardiac surgeries using forged documents and allegation of deaths of various patients at Mission Hospital.

The decision was made by Fifth Civil Judge Riya Singh, who sided with the prosecution's demand for further interrogation. Advocate Sachin Nayak, representing the accused, had opposed the remand extension and applied for bail, but the court found merit in the prosecution's argument and dismissed the plea.

ADPO Sanjay Rawat, representing the state, argued that the case extends beyond national borders, with links to multiple countries. He emphasised the need for extended remand to allow the SIT and police to collect evidence from various international sources.

The court acknowledged the gravity of the matter and granted a four-day extension.

Following the court's ruling, police escorted Yadav through a crowd outside the courtroom and took him back into custody.

The case came to light after one Krishna Patel filed a complaint with the Human Rights Commission, alleging fraud in the name of heart surgery. He accused Yadav of using a fake identity, claiming that the doctor's Aadhaar card listed a German citizen as his father and contained other suspicious details.

The SIT is expected to present Yadav in court again on April 17, as investigations continue into what is increasingly appearing to be a case of medical fraud with international dimensions.

Bhopal: A local court in Damoh district has extended the police remand of Narendra Yadav aka N John Camm for four more days while rejecting his bail plea. Yadav is being probed for unauthorised cardiac surgeries using forged documents and allegation of deaths of various patients at Mission Hospital.

The decision was made by Fifth Civil Judge Riya Singh, who sided with the prosecution's demand for further interrogation. Advocate Sachin Nayak, representing the accused, had opposed the remand extension and applied for bail, but the court found merit in the prosecution's argument and dismissed the plea.

ADPO Sanjay Rawat, representing the state, argued that the case extends beyond national borders, with links to multiple countries. He emphasised the need for extended remand to allow the SIT and police to collect evidence from various international sources.

The court acknowledged the gravity of the matter and granted a four-day extension.

Following the court's ruling, police escorted Yadav through a crowd outside the courtroom and took him back into custody.

The case came to light after one Krishna Patel filed a complaint with the Human Rights Commission, alleging fraud in the name of heart surgery. He accused Yadav of using a fake identity, claiming that the doctor's Aadhaar card listed a German citizen as his father and contained other suspicious details.

The SIT is expected to present Yadav in court again on April 17, as investigations continue into what is increasingly appearing to be a case of medical fraud with international dimensions.

Deshbandhu

दमोह कांड के बाद भोपाल में फर्जी डॉक्टरों पर कार्रवाई तेज, चार क्लीनिक सील

मध्य प्रदेश के दमोह जिले में फर्जी डॉक्टर द्वारा की गई हार्ट सर्जरी में सात मरीजों की मौत के बाद प्रदेश भर में स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है

https://www.deshbandhu.co.in/states/after-damoh-incident-action-against-fake-doctors-intensified-in-bhopal-four-clinics-sealed-549427-1

Reported by: एजेंसी 2025-04-13 09:14:41

भोपाल। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में फर्जी डॉक्टर द्वारा की गई हार्ट सर्जरी में सात मरीजों की मौत के बाद प्रदेश भर में स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए चार क्लीनिक को सील कर दिया है।

सील किए गए क्लीनिक में होशंगाबाद रोड स्थित तथास्तु डेंटल क्लिनिक, ई-2 अरेरा कॉलोनी का स्किन स्माइल क्लिनिक, कॉस्मो डर्मा स्किन एंड हेयर क्लिनिक और ई-4 क्षेत्र का एस्थेटिक वर्ल्ड शामिल हैं। विशेष रूप से स्किन क्लीनिकों से बड़ी मात्रा में संदिग्ध दवाइयां भी बरामद की गई हैं।

भोपाल के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. प्रभाकर तिवारी ने बताया कि यह कार्रवाई दमोह की घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा उठाए गए कड़े कदमों का हिस्सा है। उन्होंने कहा, "जिनके पास चिकित्सकीय डिग्री नहीं है और वे क्लीनिक चला रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।"

डॉ. तिवारी ने स्पष्ट किया कि आने वाले दिनों में ग्रामीण इलाकों में भी ऐसे फर्जी डॉक्टरों पर शिकंजा कसा जाएगा। उन्होंने कहा कि न केवल डॉक्टरों की डिग्री की जांच की जाएगी, बल्कि अस्पतालों में कार्यरत पूरे स्टाफ की योग्यता की भी जांच होगी।

बता दें कि बीते दिनों दमोह में संचालित मिशन अस्पताल में दो महीने में सात हृदय रोगियों की मौत का मामला सामने आया था। इस मामले में रविवार की देर रात चिकित्सक की डिग्री फर्जी होने को लेकर मामला दर्ज किया गया था। वहीं, सोमवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम जांच के लिए दमोह पहुंची थी।

पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने बताया कि चिकित्सक नरेंद्र यादव उर्फ नरेंद्र जॉन केम के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया है। यह मामला उनकी डिग्री फर्जी होने को लेकर दर्ज किया गया है। दमोह के मिशन अस्पताल में हृदय रोग विशेषज्ञ के तौर पर नरेंद्र यादव उर्फ नरेंद्र जॉन केम ने कई रोगियों के ऑपरेशन किए थे। इनमें से सात की मौत होने का दावा किया गया।

--आईएएनएस

डीएससी/सीबीटी